

## वलिफुल डफिऑल्टर हेतु शीघ्र NPA लेबलिंग

### प्रलिस के लयि:

वलिफुल डफिऑल्टर, NPA, RBI, ARC

### मेन्स के लयि:

सामान्य अध्ययन पेपर-3, NPA की चुनौतयिँ, NPA समाधान के प्रावधान, बैंकिंग क्षेत्र, संसाधन जुटाना, बैड बैंक

[स्रोत :इंडयिन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्योँ?

हाल ही में भारतीय रजिस्टर बैंक (RBI) ने एक मसौदे में प्रस्ताव दयिा है कि ऋणदाताओं को अपने खाते को गैर-नषिपावति परसिंपत्तयिँ (NPA) घोषति कयि जाने के छह माह के अंदर एक उधारकर्त्ता को वलिफुल डफिऑल्टर के रूप में वर्गीकृत करना चाहयि ।

### RBI ड्राफ्ट की मुख्य वशिषताएँ:

- नई वयवस्था के तहत ऋणदाता को नरिदषिट छह माह की समय सीमा के अंतर्गत वलिफुल डफिऑल्टर उधारकर्त्ताओं की पहचान करनी होगी, जबकि पूरव की प्रणाली में ऐसी कोई समय बाधा नहीं थी।
  - ऋणदाताओं को NPA बनने के 6 माह के भीतर 25 लाख रुपए से अधिक के खातों के लयि वलिफुल डफिऑल्ट का आकलन करना होगा ।
- ऋणदाताओं द्वारा गठति एक पहचान समति वलिफुल डफिऑल्ट के साकष्यों की समीक्षा करती है ।
- नीतयिँ में वलिफुल डफिऑल्टर के लयि गैर-भेदभावपूरण फोटो प्रकाशन की आवश्यकता होती है औखलिफुल डफिऑल्टर की सूची (List of Wilful Defaulters- LWD) से हटाने के बाद 1 वर्ष तक उन्हें कोई ऋण नहीं दयिा जाता है; इसके अतरिकित LWD हटाने के बाद 5 वर्षों तक नए उदयमों हेतु कसिी क्रेडिट की अनुमति नहीं है ।
- मुख्य देनदारों के खलिाफ कठोर उपाय लागू कयि बिना गारंटयों का पता लगाया जा सकता है तथा अन्य या ARC को क्रेडिट हस्तांतरति करने से पहले वलिफुल डफिऑल्ट की जाँच आवश्यक है ।

### वलिफुल डफिऑल्टर/इरादतन चूककर्त्ता:

- परचिय:
  - वलिफुल डफिऑल्टर एक ऐसी स्थति को संदर्भति करता है जसिमें एक उधारकर्त्ता, उधार चुकाने की कषमता होने के बावजूद जानबूझकर ऋण नहीं चुकाता है जसिकी बकाया राशि 25 लाख रुपए या उससे अधिक है ।
  - बड़े डफिऑल्टर्स से तात्पर्य 1 करोड रुपए या उससे अधिक की बकाया धनराशि वाले उधारकर्त्ताओं से है , जसिके खाते को संदगिध या हानिके रूप में वर्गीकृत कयिा गया है ।
- वलिफुल डफिऑल्ट बनाने वाली घटनाएँ:
  - ऐसी स्थति जब इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायतियों को पूरा करने में चूक की है,जबकि उसके पास उक्त दायतियों को पूरा करने की कषमता है ।
  - जब इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायतियों को पूरा करने में चूक की हो औऋणदाता से प्राप्त वतित का उपयोग उन वशिषिट उद्देश्यों हेतु नहीं कयिा हो जनिके आधार पर ऋण प्राप्त कयिा था अर्थात् इस ऋण/धन का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु कयिा गया है ।
  - इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायतियों को पूरा करने में धन की हेराफेरी और चूक की है, जसिसे धन का उपयोग उस वशिषिट उद्देश्य हेतु नहीं कयिा गया है जसिके लयि ऋण प्राप्त कयिा था और न ही इकाई के पास अन्य परसिंपत्तयिँ के रूप में धन उपलब्ध है ।



PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prompt-npa-labeling-for-willful-defaulters>

